

## मंत्रपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण नरिणय

### चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

### प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में राज्य में प्रचलति मछली नीतिके स्थान पर नई मछलीपालन नीतिलागू करने का अनुमोदन कयिा गया। नवीन मछलीपालन नीतिमें मछुआरों को उत्पादकता बोनस दयि जाने का प्रावधान कयिा गया है।
- प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिसट्रिक्ट स्ट्राइक फोरस संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया। इससे पुलसि वभिाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी वसिंगति दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नयिमति वेतनमान प्राप्त होगा।
- स्थानांतरण नीति, 2022 के परपरेक्ष्य में यह नरिणय लयिा गया कि इस संबंध में मंत्रमिडलीय उप-समति का गठन कयिा जाएगा, जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कयिा जाएगा।
- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का वधिानसभा में उप-स्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ वनियोग अधिनियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- वधिानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतपिक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानति वार्षिकि राशी 40 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कयि जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया।
- वर्ष 2022-23 के लयि आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गोठान के वकिस तथा अन्य वकिस गतविधियों के लयि अतरिकित राशी की आवश्यकता की प्रतपूरति हेतु 'अतरिकित आबकारी शुल्क' में वृद्धि कयि जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया।
- वधिाति परविहन नगिम के अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिकि मृत्यु होने पर आशरति परवार के सदस्य को अनुकंपा नयिकृति प्रदान करने की प्रकरयिा में आवश्यक संशोधन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और वनियमन) अधिनियम, 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुशत नपिटान योजना-2020 (One Time Settlement) की मयिाद अवधि 1 अपरैल, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया।
- औद्योगिकि एवं आर्थिकि मंदी के दुषप्रभाव के कारण एचव्ही-4 श्रेणी के स्टील उद्योग के अंतरगत स्टैंड एलोन रोलगि मलि को प्रतसिप्रधा में टकि रहने के लयि राज्य शासन द्वारा वशिष राहत पैकेज अंतरगत ऊर्जा प्रभार में 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक छूट दयि जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ वदियुत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक ग सन् 1949) में और संशोधन अधिनियम के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।